UPMO320001902024

<u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुरादाबाद</u>

उपस्थित– संजय कुमार–II एच0जे0एस0,

<u>मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0–73/2024</u>

1. श्रीमती रेशमा पत्नी स्व0 नबी जान, आयु करीब 33वर्ष,
2. निशा पुत्री स्व0 नबी जान, आयु 18 वर्ष,
3. रिहान पुत्र स्व0 नबी जान, आयु 17 वर्ष,
4. मौ0 अमान पुत्र स्व0 नबी जान, आयु 14 वर्ष,
5. अकमल रजा पुत्र स्व0 नबी जान, आयु 03 वर्ष,

याची सं0–3 ता 5 नाबालिग द्वारा संरक्षिका/माता श्रीमती रेशमा,

6. श्रीमती सुगरा पत्नी स्व0 अली मौहम्मद,आयु करीब 56 वर्ष,

निवासीगण–मौ0 बगिया वाला कस्बा व थाना भोजपुर, मुरादाबाद।..याचीगण

बनाम

1. न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 105 शान्तिनगर, सिविल लाईन, मुरादाबाद,
2. शहादत अली पुत्र कलुवा, निवासी–बेरखेडा चक पोस्ट मानपुर थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद,
3. गुलाम अहमद पुत्र इछा, निवासी–बेरखेडा चक पोस्ट मानपुर थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद,
4. सुल्तान पुत्र इसरार, निवासी–पीपलसाना, एतमाली भोजपुर तहसील व जिला मुरादाबाद,
5. यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जेल रोड, निकट एकता द्वार, सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद। ....विपक्षीगण।

–: **<u>निर्णय</u>** :–

याचीगण श्रीमती रेशमा आदि की ओर से प्रस्तुत मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका मोटर दुर्घटना में अपने पति/पिता/पुत्र नबी जान(मृतक) की मृत्यु होने पर कुल प्रतिकर अंकन 33,50,000/–रूपये मय ब्याज प्राप्त करने हेतु धारा–166 एम0वी0 एक्ट 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

याचीगण का याचिका में मुख्य कथन यह है कि दिनांक01.03.2024 को नबी जान (मृतक) ग्राम पीपलसाना से अपने घर भोजपुर समय सांय 6:15 बजे मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड./7034 से आ रहा था,

जब वह त्यागी पैट्रोल पम्प के पास पहुँचा, तभी सामने से गलत दिशा से ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन. / 9433 का चालक अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और नबी जान की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे नबी जान को गम्भीर चोटे आने के कारण नबी जान की मृत्यु हो गयी। दुर्घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाना–भोजपुर, जनपद मुरादाबाद पर मु0अ0सं0–84 / 2024 अन्तर्गत धारा–279,304ए,427 भा0दं0सं0 कायम किया गया। उक्त ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोडकर भाग गया। दुर्घटना के समय नबी जान (मृतक) की आयु 35 वर्ष थी तथा वह बैल्डिंग का काम करके अंकन 20,000 / –रूपये प्रतिमाह कमा लेता था। याचीगण मृतक नबी जान के विधिक वारिस / आश्रित हैं। अत : याचीगण को उनके पति / पिता / पुत्र नबी जान की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु होने पर प्रतिकर की मद में 33,50,000 / –रूपये मय ब्याज विपक्षीगण से दिलाया जाये।

याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिकर याचिका में दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन. / 9433 की बीमा कम्पनी को विपक्षी सं0–1, ट्रक चालक को विपक्षी सं0–2, ट्रक स्वामी को विपक्षी सं0–3, मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड. / 7034 के स्वामी को विपक्षी सं0–4 तथा मोटरसाईकिल की बीमा कम्पनी को विपक्षी सं0–5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–29क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल चालक के पास मोटरसाईकिल चलाने का वैध डी0एल0 मौजूद नहीं था। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई है। दुर्घटना के समय वाहन सं0–यू.पी.–21बी.एन. / 9433 बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका उत्तरदाता बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जाये।

विपक्षीगण सं0–2 व 3 की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–30क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि याचीगण द्वारा मृतक की आय गलत रूप से अंकित की गई है। उत्तरदाता विपक्षी सं0–2 वाहन चालक है तथा दुर्घटना के समय उत्तरदाता विपक्षी सं0–2 के पास वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक लाईसेन्स मौजूद था। दुर्घटना के समय उत्तरदाता विपक्षी सं0–3 के वाहन के समस्त प्रपत्र वैध थे तथा उक्त वाहन विपक्षी

सं0–1 बीमा कम्पनी के यहॉ से वैध रूप से बीमित था। यदि न्यायालय की राय में याचीगण को कोई क्षतिपूर्ति दिलायी जाती है, तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी की है। अतः याचीगण की याचिका उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज की जाये।

विपक्षी सं0–4 की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–15क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि याचीगण द्वारा मृतक की आय याचिका में गलत रूप से अंकित की गयी है। उत्तरदाता विपक्षी मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी. जैड./7034 का पंजीकृत स्वामी है, जिसे दुर्घटना के समय मृतक अपनी साईड में सावधानीपूर्वक चला रहा था। उक्त दुर्घटना वाहन सं0–यू.पी. –21बी.एन./9433 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी, जिसमें सारी गलती ट्रक चालक की थी। यदि न्यायालय की राय में याचीगण को कोई क्षतिपूर्ति दिलायी जाती है, तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की होगी। दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड./7034 विपक्षी सं0–5 बीमा कम्पनी के यहॉ वैध रूप से बीमित थी। अतः याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका उत्तरदाता विपक्षी के विरूद्ध खारिज की जाये।

विपक्षी सं0–5 बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0–18क दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका में किये गये कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी डी0एल0 नहीं था। दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलायी जा रही थी। याचीगण ने साज करके कथित दुर्घटना में मोटर साईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड./7034 को गलत रूप से लिप्त बताया जा रहा है, कथित दुर्घटना ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण घटित हुई है। याचीगण द्वारा याचिका में मृतक की आयु व आय गलत रूप से दर्शायी गयी है। अतः याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जाये।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 04.07.2024 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः–

1- Whether the alleged accident took place on dated 01-03-2024 at about 6:15 P.M. in the evening, near Tyagi petrol pump Bhojpur, within the circle of P.S. Bhojpur, Distt. Moradabad, due to rash and

negligent driving by the driver of offending vehicle/Truck no. U.P.21B.N.-9423, which hit and dashed the MotorCycle No.UP-21C.Z./7034 of Navi Jan (deceased) husband/father/son of petitioners from wrong side when Navi Jan was returning home by driving the aforesaid mortor cycle, due to collision Navi Jan sustained grievous injuries on his person and when he was brought in the hospital for treatment,he was decleared dead by the doctor?

2- Whether on the date and time of alleged accident, driver of offending vehicle/ Truck no. U.P.21B.N.-9423, was holding valid and effective Driving License?

3- Whether on the date and time of alleged accident, offending vehicle/ Truck no. U.P.21B.N.-9423, was validly & effectively insured with O.P.No.1 The New India Insurence Company?

4- Whether there was contributory negligence on the Part of drivers of both the vehicles,involved in the accident?

5- Whether on the date and time of alleged accident, driver of Motor-Cycle No. U.P.-21C.Z./7034 was holding valid and effective Driving License?

6- Whether the petitioners are entitled to get any amount of compensation, then how much and from whom?

याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में याचिनी श्रीमती रेशमा को पी0डब्लू0–1 तथा दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मौ0 नवी को पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी कों परीक्षित नहीं कराया गया है।

याचीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची कागज सं0–6ग से चिक एफ0आई0आर0, पी0एम0आर0 व याचीगण के आधार कार्ड व बैंक पास बुक, ट्रक की आर0सी0, बीमा पॉलिसी, डी0एल0, मोटरसाईकिल की आर0सी0 व बीमा पॉलिसी की छाया प्रति कागज सं0–7ग ता 14ग, सूची कागज सं0–26ग से चिक एफ.आई.आर., आरोपपत्र, नक्शा नजरी, तकनीकी निरीक्षण आख्या, पंचायतनामा, पी0एम0आर0 की प्रमाणित प्रति कागज सं0–27ग/1–24 दाखिल किये गये हैं।

विपक्षी सं0–2 व 3 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची कागज सं0–31ग से ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 की आर.सी., नेशनल परमिट, स्वस्थता प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, टैक्स रसीद, डी0एल0 की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/1–8 दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी सं0–4 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड. / 7034 की आर0सी0, बीमा पॉलिसी, की फोटो प्रति दाखिल की गई है।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 01.03.2024 को नबी जान (मृतक) ग्राम पीपलसाना से अपने घर भोजपुर समय सांय 6:15 बजे मोटरसाईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड. / 7034 से आ रहा था, जब वह त्यागी पैट्रोल पम्प के पास पहुँचा, तभी सामने से गलत दिशा से ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन. / 9433 का चालक अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और नबी जान की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे नबी जान को गम्भीर चोटे आने के कारण अस्पताल में नबीजान को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय नबी जान (मृतक) की आयु 35 वर्ष थी तथा वह वैल्डिंग का काम करके अंकन 20,000 / –रूपये प्रतिमाह कमा लेता था। याचीगण मृतक नबी जान के विधिक वारिस / आश्रित हैं। अत : याचीगण को उनके पति / पिता / पुत्र नबी जान की मोटरदुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण विपक्षीगण से प्रतिकर की मद में समुचित धनराशि दिलायी जाये।

विपक्षी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित दुर्घटना दोनो वाहनो के आमने सामने की हुई थी तथा दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल चालक के पास मोटरसाईकिल चलाने का कोई डी0एल0 मौजूद नहीं था, जिससे स्पष्ट होता है कि कथित दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक / मृतक की स्वंय की लापरवाही के कारण हुई थी। याचीगण मृतक के आश्रित नहीं हैं। याचीगण की ओर से जिस व्यक्ति को दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है तथा उसकी साक्ष्य बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। अतः याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जाये।

मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

–: **<u>निष्कर्ष</u>** :–

<u>वाद बिन्दु सं0–1, 4 व 5 का निस्तारण</u> :–

वाद बिन्दु सं0–1, 4 व 5 की प्रकृति को देखते हुए वाद बिन्दु सं0–1, 4 व 5 का निस्तारण एक साथ किया जाना सुविधाजनक होगा।

वाद बिन्दु सं0–1 इस प्रकार है कि '' Whether the alleged accident took place on dated 01-03-2024 at about 6:15 P.M. in the evening, near Tyagi petrol pump Bhojpur, within the circle of P.S. Bhojpur, Distt. Moradabad, due to rash and negligent driving by the driver of offending vehicle/Truck no. U.P.21B.N.-9423, which hit and dashed the MotorCycle No.UP-21C.Z./7034 of Navi Jan (deceased) husband/father/son of petitioners from wrong side when Navi Jan was returning home by driving the aforesaid mortor cycle, due to collision Navi Jan sustained grievous injuries on his person and when he was brought in the hospital for treatment,he was decleared dead by the doctor?''

वाद बिन्दु सं0–4 इस प्रकार है कि ''Whether there was contributory negligence on the Part of drivers of both the vehicles, involved in the accident?''

वाद बिन्दु सं0–5 इस प्रकार है कि '' Whether on the date and time of alleged accident, driver of Motor-Cycle No. U.P.-21C.Z./7034 was holding valid and effective Driving License?''

इस सम्बन्ध में याचिनी श्रीमती रेशमा पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में किये गये कथनो का समर्थन किया है, परन्तु याचिनी श्रीमती रेशमा पी0डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि दुर्घटना स्थल हमारे घर से 2–3 कि.मी. की दूरी पर है। दुर्घटना की सूचना मेरे पडोस के लडके ने देवर को 15–20 मिनट बाद दी थी। मैं दुर्घटना स्थल पर नहीं गयी थी।

स्पष्ट है कि याचिनी श्रीमती रेशमा पी0डब्लू0–1 दुर्घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

याचीगण की ओर से दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मौहम्मद नवी को पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

पी0डब्लू0–2 मौहम्मद नवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक01.03.2024 को अपने काम से जा रहा था कि समय शाम करीब 6:15 बजे त्यागी पैट्रोल पम्प भोजपुर से आगे पहुॅचा, तो मोटर साईकिल पर नबी जान के सामने से गलत साईड में आकर ट्रक सं0–यू. पी.–21बी.एन./9433 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए नबी जान के टक्कर मार दी, जिससे नबी जान को गम्भीर चोटें आयीं और मुरादाबाद अस्पताल में ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। मैने उक्त घटना

की सूचना मृतक के घर वालो को दी थी तथा रात्रि में ही पंचायतनामा भरा गया था। उक्त घटना मैंने अपनी ऑखो से देखी है।

पी0डब्लू0–2 मौहम्मद नवी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मृतक के घर वाले मेरे मौहल्लेदार हैं, मैं कबाडी का काम करता हूॅ। मैं पैदल–पैदल जा रहा था, मृतक मोटरसाईकिल से जा रहा था। मृतक बाईक पर अकेला था। मैं मृतक से 10 मीटर पीछे था। ट्रक ने सामने से गलत साईड में आकर मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। मोटरसाईकिल की स्पीड 20–25 की थी, ट्रक की स्पीड तेज थी। मैने दुर्घटना होते हुए 9–10 मीटर की दूरी से देखा था। मैं मृतक के साथ 6:00 बजे से 7:00 बजे तक रूका था। पुलिस मेरे सामने आ गयी थी। ड्राईवर ट्रक छोडकर भाग गया था।

पत्रावली पर चिक एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति कागज सं0–27ग/1–4 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दुर्घटना की तिथि दिनांक 01.03.2024 को ही स्थानीय थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद पर मृतक के साले माशूक अली द्वारा इन कथनो के साथ लिखित तहरीर दी गई कि आज दिनांक 01.03.2024 को समय करीब 6:15 पी0एम0 पर मेरा बहनोई नबी जान ग्राम पीपलसाना से मोटर साईकिल सं0–यू.पी.–21सी.जैड./7034 से अपने घर कस्बा भोजपुर आ रहा था, जैसे ही मेरा बहनोई नबी जान त्यागी पैट्रोल पम्प के सामने पहुॅचा, तभी कस्बा भोजपुर की तरफ से एक ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 का चालक नाम पता अज्ञात तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मेरे बहनोई की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मेरा बहनोई नबी जान गम्भीर रूप से घायल हो गया, हम लोग अपने बहनोई नबी जान को लेकर इलाज हेतु कॉसमॉस अस्पताल मुरादाबाद ले गये, जहॉ डाक्टरो ने मेरे बहनोई को देखकर मृत घोषित कर दिया। मैं थाने आया हूॅ, मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दुर्घटना में मोटरसाईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। बहनोई का शव घर पर ले आये हैं।

उपरोक्त तहरीर पर ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के अज्ञात चालक के विरूद्ध स्थानीय थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद पर मु0अ0 सं0–84/2024 अन्तर्गत धारा–279,304ए,427 भा0दं0सं0 कायम किया गया, जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात् ट्रक चालक शाहदत (विपक्षी सं0–2) के विरूद्ध धारा–279,304ए,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जैसा कि आरोप

पत्र की प्रमाणित प्रति कागज सं0—27ग/5—10 के अवलोकन से विदित होता है।

पत्रावली पर मृतक नबी जान की लाश के पंचायतनामे की प्रमाणित प्रति कागज सं0—27ग/15—17 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 01.03.2024 को समय 11:55 पी0एम0 पर मृतक नबी जान का पंचायतनामा भरा गया, जिसमें पंचो की राय में नबी जान की मृत्यु मोटर दुर्घटना में आयीं चोटो के कारण होना अंकित किया गया है।

पत्रावली पर मृतक नबी जान की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं0—27ग/18—24 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मृतक नबी जान की लाश का पोस्टमार्टम दिनांक 02. 03.2024 को समय 4:30 ए0एम0 पर किया गया, जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व कई चोटें पायीं गयी, इन्हीं चोटो के कारण नबी जान की मृत्यु होना अंकित किया गया है।

पत्रावली पर दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक सं0—यू.पी.—21 बी.एन./9433 के तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं0—27ग/13—14 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त ट्रक का अगला बम्पर दाहिनी ओर से अन्दर धंसा हुआ तथा दाहिनी हैड लाईट क्षतिग्रस्त होना पाया गया।

यह सही है कि पत्रावली पर मोटरसाईकिल चालक/नबी जान का कोई डी0एल0 अथवा उसकी नकल पत्रावली पर दाखिल नहीं है, परन्तु दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल चालक/नबी जान के पास मोटरसाईकिल चलाने का डी0एल0 न होने के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कथित दुर्घटना में मोटरसाईकिल चालक/नबी जान की कोई सहदायी लापरवाही रही थी।

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि निर्णय **सुधीर कुमार राणा बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य 2002 (2) टी.ए.सी.—769 (सुप्रीम कोर्ट)** तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि निर्णय **श्रीकृष्ण प्रसाद तिवारी (मृतक) व अन्य बनाम प्रमोद कुमार व अन्य 2022(2) ए.आई.सी.सी. —1332 (इलाहाबाद)** में यह अवधारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति बिना डी0एल0 के कोई वाहन चलाता है, तो उक्त व्यक्ति का उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है,परन्तु मात्र इस आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उक्त दुर्घटना में उक्त व्यक्ति की लापरवाही अथवा सहदायी लापरवाही रही थी।

याचीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विरूद्ध विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है।

विवेचक द्वारा दुर्घटना स्थल का जो नक्शा नजरी तैयार किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति कागज सं0–27ग/11–12 पत्रावली पर दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक ने अपने पूर्णतया विपरीत दिशा में जाकर मोटरसाईकिल चालक नबी जान को टक्कर मारी थी, इसलिए कथित दुर्घटना में मोटरसाईकिल चालक नबी जान की कोई सहदायी लापरवाही होना नहीं कहा जा सकता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि दिनांक 01.03.2024 को शाम लगभग 6:15 बजे ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक ने अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल चालक नबी जान की मोटरसाईकिल में पूर्णतया गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल चालक नबी जान को गम्भीर चोटें आने के कारण नबी जान की मृत्यु हो गयी तथा उक्त दुर्घटना में मृतक नबी जान की कोई सहदायी लापरवाही नहीं रही थी।

अतः वाद बिन्दु सं0–1, 4 व 5 तद्नुसार निर्णीत किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु सं0–2 व 3 का निस्तारण</u> :–

वाद बिन्दु सं0–2 व 3 की प्रकृति को देखते हुए वाद बिन्दु सं0–2 व 3 का निस्तारण एक साथ किया जाना सुविधाजनक होगा।

वाद बिन्दु सं0–2 इस प्रकार है कि '' Whether on the date and time of alleged accident, driver of offending vehicle/ Truck no. U.P.21B.N.-9423, was holding valid and effective Driving License? ''

वाद बिन्दु सं0–3 इस प्रकार है कि ''Whether on the date and time of alleged accident, offending vehicle/ Truck no. U.P.21B.N.-9423, was validly & effectively insured with O.P.No.1 The New India Insurence Company?''

दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमे में प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक शहादत अली पुत्र कलुवा (विपक्षी सं0–2) के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक शहादत अली के डी0एल0 की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/8 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि शहादत अली को आर0टी0ओ0 मुरादाबाद द्वारा डी0एल0 मोटरसाईकिल व हल्के मोटर वाहन

चलाने के लिए दिनांक 03.08.2013 को तथा परिवहन वाहन चलाने के लिए दिनांक 18.12.2014 को जारी किया गया, उसके बाद परिवहन वाहन चलाने के लिए दिनांक 27.02.2021 को जारी किया गया, जो दिनांक 26.02.2026 तक वैध है।

पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 की आर0सी0 की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/1 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त ट्रक का पंजीकृत स्वामी विपक्षी सं0–3 गुलाम अहमद है।

पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 की बीमा पॉलिसी की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/4–6 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त ट्रक विपक्षी सं0–1 न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के यहॉ से दिनांक 02.02.2024 से 06.03.2024 तक बीमित है।

पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के स्वस्थता प्रमाणपत्र की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/3 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त ट्रक का स्वस्थता प्रमाणपत्र दिनांक 23.11.2023 से 14.11.2024 तक वैध है।

पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के परमिट की फोटो प्रति कागज सं0–32ग/2 दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त ट्रक का नेशनल परमिट दिनांक 03.02.2024 से 02.02.2025 तक वैध है।

दुर्घटना दिनांक 01.03.2024 की है।

स्पष्ट है कि दिनांक की तिथि पर प्रश्नगत वाहन ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक के पास वैध डी0एल0 मौजूद था तथा उक्त ट्रक विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी के यहॉ वैध रूप से बीमित था तथा सभी वैध प्रपत्रो के साथ संचालित किया जा रहा था।

अतः वाद बिन्दु सं0–2 व 3 तदानुसार निर्णीत किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु सं0–6 का निस्तारण</u> :–

वाद बिन्दु सं0–6 इस प्रकार है कि '' Whether the petitioners are entitled to get any amount of compensation, then how much and from whom? ''

वाद बिन्दु सं0–1 के विवेचन में यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि दिनांक 01.03.2024 को शाम लगभग 6:15 बजे ट्रक सं0–यू.पी.–21बी.एन./9433 के चालक ने अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से

चलाते हुए मोटरसाईकिल चालक नबी जान की मोटरसाईकिल में पूर्णतया गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल चालक नबी जान को गम्भीर चोटें आने के कारण नबी जान की मृत्यु हो गयी तथा उक्त दुर्घटना में मृतक नबी जान की कोई सहदायी लापरवाही नहीं रही थी।

याचिनी सं0–1 श्रीमती रेशमा, मृतक नबी जान, की पत्नी है, याची सं0–2 ता 5 क्रमशः निशा, रिहान, मौ0 अमान व अकमल रजा, मृतक नबी जान, की पुत्री व पुत्रगण हैं तथा याचिनी सं0–6 श्रीमती सुगरा, मृतक नबी जान, की माता हैं, जो मृतक नबी जान, के विधिक वारिस/आश्रित हैं।

अतः याचीगण, मृतक नबी जान के विधिक वारिस/आश्रित होने के कारण, अपने पति/पिता/पुत्र मृतक नबी जान, की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विधि व्यवस्था **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रॉसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0सी0जे0 1298 (सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुक्रम में प्रतिकर की धनराशि प्रदान करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित तीन तत्वो पर विचार करना होता हैः–

1. मृतक की आयु,
2. मृतक की आय,
3. मृतक की आश्रितो की संख्या

जहॉ तक मृतक नबी जान की आयु का प्रश्न है, याचीगण की ओर से दुर्घटना के समय याचिका में मृतक नबी जान की आयु 35वर्ष होना अंकित किया गया है।

पत्रावली पर मृतक नबी जान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं0–27ग/18–24 दाखिल है, जिसमें मृतक नबी जान की आयु 42वर्ष अंकित है।

अतः दुर्घटना के समय मृतक नबी जान, की आयु 42वर्ष निर्धारित की जाती है।

जहॉ तक मृतक नबी जान की आय का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में याचिनी श्रीमती रेशमा पी0डब्लू0–1 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतक नबी जान बैल्डिंग कारीगर था, जिससे वह अंकन 18,000–20,000/–रूपये प्रतिमाह कमा लेता थे।

जब याचिनी श्रीमती रेशमा पी0डब्लू0–1 से जिरह की गई, तो पी0डब्लू0–1 श्रीमती रेशमा ने अपनी जिरह में कथन किया कि नबी जान

बैल्डिग का काम करते थे, वह किसके यहॉ काम करते थे, उसका पता हमे नहीं है, जिसके यहॉ काम करते थे, उनसे मैं मिली भी नहीं हूॅ।

याचीगण द्वारा मृतक नबी जान वैल्डिंग कारीगर होने तथा उसकी मासिक आय अंकन 18,000—20,000/—रूपये प्रतिमाह होने के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में मृतक नबी जान की नोशनल आय 9000/—रूपये (नौ हजार रूपये मात्र) मासिक अर्थात् 1,08,000/—रूपये (एक लाख, आठ हजार रूपये मात्र) वार्षिक निर्धारित की जाती है।

दुर्घटना के समय मृतक नबी जान के परिवार में छः सदस्य जीवित थे।

अतः विधि व्यवस्था **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रॉसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0सी0जे0 1298 (सुप्रीम कोर्ट)** में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगोचर रखते हुए मृतक नबी जान की वार्षिक आय अंकन 1,08,000/—रूपये (एक लाख, आठ हजार रूपये मात्र) वार्षिक में से 1/4 अर्थात् 27,000/—रूपये (सत्ताईस हजार रूपये मात्र) की कटौती करने पर याचीगण की मृतक पर अंकन 81,000/—रूपये (इकयासी हजार रूपये मात्र) वार्षिक आश्रिता निर्धारित की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **नेशनल इन्श्योरेन्स कं0 लि0 बनाम प्रणय सेट्ठी व अन्य (2017) 16, एस0सी0सी0—680 (सुप्रीम कोर्ट)** में भविष्य की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मृतक स्थाई सेवा योजन में न हो तथा मृतक की आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो, वहॉ उसकी आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

मृतक स्थायी सेवा योजन में नही था, अतः उसकी आयु 42वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक आश्रिता अंकन 81,000/—रूपये में 25 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात् अंकन 20,250/—रूपये जोडने पर धनराशि अंकन 1,01,250/—रूपये (एक लाख, एक हजार, दो सौ पचास रूपये मात्र) वार्षिक होती है।

मृतक नबी जान की आयु 42 वर्ष थी। अतः विधि व्यवस्था **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रॉसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0सी0जे0 1298 (सुप्रीम कोर्ट)** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त को देखते हुए प्रस्तुत मामले में मृतक की आयु पर 14 का गुणांक लगाया जायेगा, जिस पर अंकन 1,01,250/—रूपये (एक लाख, एक हजार, दो सौ पचास रूपये मात्र) में

14 से गुणा करने पर प्रतिकर की धनराशि अंकन **14,17,500/–**रूपये (चौदह लाख, सत्रह हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मे **नेशनल इन्श्योरेन्स कं0 लि0 बनाम प्रणय सेट्ठी व अन्य (2017) 16, एस0सी0सी0–680 (सुप्रीम कोर्ट)** में सम्पदा की क्षति के मद में अंकन 15,000/–रूपये, स्नेह की क्षति में अंकन 40,000/–रूपये तथा अंतिम संस्कार किये जाने की मद में अंकन 15,000/–रूपये कुल अंकन 70,000/–रूपये दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः याचीगण प्रतिकर की मद में अंकन 14,17,500 + 70,000= **14,87,500/–**रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **एफ.ए.एफ.ओ. सं0–335/2022 श्रीमती जया डे व अन्य बनाम श्रीमती निर्मला देवी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांकित 19.11.2024 के द्वारा भविष्य की सम्भावनाओ के आधार पर प्रदत्त प्रतिकर की धनराशि पर ब्याज प्रदान नहीं करने का मत व्यक्त किया गया है। ऐसी दशा में याचीगण क्षतिपूर्ति की धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) में से भविष्य की सम्भावनाओ के सम्बन्ध में प्रदत्त धनराशि को घटा कर शेष धनराशि पर याचिका योजित करने की तिथि से जमा करने की तिथि तक 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

जहॉ तक यह प्रश्न कि उपरोक्त प्रतिकर की धनराशि किस पक्षकार द्वारा देय होगी, तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि कथित दुर्घटना प्रश्नगत ट्रकसं0–यू0पी0–21बी.एन./9433 के चालक शहादत अली/विपक्षी सं0–2 द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण हुई थी।

दुर्घटना के समय प्रश्नगत ट्रक सं0–यू0पी0–21बी.एन./9433 विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी के यहॉ वैध रूप से बीमित था तथा दुर्घटना के समय वाहन के चालक विपक्षी सं0–2 शहादत अली के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध डी0एल0 मौजूद था तथा सभी वैध प्रपत्रो के साथ संचालित किया जा रहा था।

ऐसी दशा में प्रतिकर की धनराशि की अदायगी का उत्तरदायित्व विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी का होगा।

अतः याचीगण की प्रतिकर याचिका तद्‌नुसार स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की प्रतिकर याचिका अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) के लिए मय ब्याज स्वीकृत की जाती है।

विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह अवार्ड पारित होने के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) मय 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से (**भविष्य की सम्भावनाओ के सम्बन्ध में प्रदत्त धनराशि पर ब्याज को छोडकर**) याचिका योजित करने की तिथि 07.03.2024 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक इंडियन बैंक के अधिकरण के खाता सं0–50499142149 आई0एफ0सी0 कोड सं0–आई0डी0आई0 बी0000सी 631 में यू0टी0आर0/चैक/बैंक ड्रॉफट के माध्यम से जमा करें।

जमा की गयी प्रतिकर की कुल धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) में से मृतक नबी जान की पत्नी याचनी सं0–1 श्रीमती रेशमा को अंकन 5,00,000/–रूपये (पॉच लाख रूपये मात्र) मय समस्त ब्याज NEFT/RTGS के माध्यम से नकद दियें जायेगें।

जमा की गयी प्रतिकर की कुल धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) में से मृतक नबी जान की पुत्री याचिनी सं0–2 कु0 निशा को अंकन 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये मात्र) NEFT/RTGS के माध्यम से नकद दियें जायेगें।

जमा की गयी प्रतिकर की कुल धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) में से मृतक नबी जान के नाबालिग पुत्रगण याचीगण सं0–3 ता 5 क्रमशः रिहान, मौ0 अमान, अकमल रजा प्रत्येक को अंकन 2,00,000/––2,00,000/–रूपये (दो–दो लाख रूपये मात्र) देय होगें, जो उनके वयस्क होने तक उनके नाम में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा होगें।

जमा की गयी प्रतिकर की कुल धनराशि अंकन 14,87,500/–रूपये (चौदह लाख, सतासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) में से मृतक नबी जान की माता याचिनी सं0–6 श्रीमती सुगरा को अंकन

1,87,500 ⁄ –रूपये (एक लाख, सत्तासी हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) NEFT/RTGS के माध्यम से नकद दियें जायेगें।

दिनांकः–20.07.2026

(संजय कुमार–II)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–5767

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–20.07.2026

(संजय कुमार–II)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–5767

Sanjay Kumar

Digitally signed by Sanjay Kumar
DN: C=IN, CN=Sanjay Kumar, O=Personal, ST=Uttar Pradesh, postalCode=247772, serialNumber=bd5d3e275d866b940553d0f5ffafd445be2286837a3572cd50c5529ce31068ca
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.20 17:32:19+05'30'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0